(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक / अपील / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 6222 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 160 / अपील / 2016—17.

.....

चरनलाल पुत्र रामजीलाल
श्रीमती कमलेश पत्नी चरनलाल जाटव
निवासी कस्वा कोलारस तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी म0 प्र0

———अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

———प्रत्यर्थी

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री आशिष सारस्वत, अभिभाषक शासन प्रत्यर्थी

.....

आदेश

(आज दिनांक 31/01/19 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रामखेड़ी प0ह0न0 दर्रोनी तहसील शिवपुरी में स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 52 / 2 / 6 रकवा 0.500 है0 भूमि शासन से पटटे पर अपीलार्थीगण को लगभग 30 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी। अपीलार्थीगण तभी से उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी के

न्यायालय में भूमि विक्रय किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर आवेदन दिनांक 30.11.16 को अस्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 160/अपील/2016–17 पर दर्ज होकर दिनांक 4.10.17 को कलेक्टर का आदेश दिनांक 30.11.16 स्थिर रखते हुये अपील अस्वीकार की गई जिससे दुखित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण को वाद भूमि का लगभग 30 वर्ष पूर्व शासन से पटटा प्राप्त होने के पश्चात भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाने से उसे उक्त भूमि उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है उसे भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। तर्क में यह भी कहा गया है कि अपीलार्थीगण को कुछ वर्षो से कृषि में घाटा हो जाने से आर्थिक तंगी एवं कर्ज होने के कारण गांव छोड़कर कस्बा कोलारस में मजदूरी करने आ गया वहीं आकर निवास करने लगा इस कारण गांव में खेती नहीं कर सकता। तर्क में यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि बेचकर कस्वा कोलारस में भूमि कय कर मकान बनाना चाहता है एवं उसी में दुकान खोल कर अपना जीवन यापन करना चाहता है शेष रकम से अपना कर्ज चुकता करना चाहता है। अपीलार्थीगण के उक्त आवेदन पर कलेक्टर जिला शिवपुरी ने प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार से प्रतिवेदन मंगाया तहसीलदार ने विक्रय किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति न होना एवं अपीलार्थीगण द्वारा कोलारस में भूमि कय करने की शर्त पर ग्राम रामखेड़ी में कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 52/2/6 रकवा 0.500 है0 विक्रय करने की अनुमति दिये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित कलेक्टर की ओर भेजा था लेकिन उक्त तथ्य पर विचार किये बिना अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है और अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है और कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में विधि की भूल की है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जावे जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें।

4–शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश उचित एवं सही है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। शासन द्वारा पटटे की भूमि जीवन यापन करने हेतु प्रदाय की गई है न कि विकय करने हेतु। अतः अपीलार्थीगण की अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तगण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण ग्राम रामखेड़ी प0ह0न0 दर्रोनी तहसील शिवपुरी में स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 52/2/6 रकवा 0.500 है0 भूमि विकय की अनुमति कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के माध्यम से तहसीलदार शिवुपरी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 27.5.15 अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी को प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर को उक्त प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भेजा लेकिन कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा अपीलार्थीगण का आवेदन अनुबंध प्रकरण में संलग्न नहीं होने से निरस्त किया गया। अपीलार्थीण द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है। राजस्व अधिकारियों को चाहिये कि ऐसे मामलों में कृषक को सहायता करें, जिससे वह अपनी भूमि विकय करने के पश्चात अपना मकान हेतु भूमि कय कर मकान बना सके, इतनी तो स्वतंत्रता तो होनी चाहिये। भूमि विकय कर मकान बनाकर अपनी निजी दुकान खोलकर अपना एवं अपने परिवार की उदरपूर्ति स्वयं कर सके। प्रकरण में किसी प्रकार की छल कपटपूर्ण गतिविधियां परिलक्षित नहीं होती है। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है, उन्हीं के आदेश दिनांक 30.11.16 को अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा स्थिर रखने में भूल की है। **म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पटटेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विकय नहीं करेगा** और इसी प्रतिबंध के कारण अपीलार्थीगण ने

कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। 1999 राजस्व निर्णय पेज 363 मोहन आदि विरूद्व म0 प्र0 शासन में निम्न वयवस्था दी है:-

Land revenue code 1959 (M. P.) – SS. 158 (3) and 165 (7-b) (as inserted in 1992) – object and reasons of—a Bhumiswami holding land from state Government; collector or any other allotement officer—has been prevented to transfer such land within 10 years of allotment—transfer made there after is valid.

उपरोक्त दी गई न्याय व्यवस्थानुसार कलेक्टर जिला शिवपुरी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 148 / 2014–15 / अ–21 में पारित आदेश दिनांक 30.11.16 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 160 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 4.10.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा अपीलार्थीगण को ग्राम रामखेड़ी प0ह0न0 दर्रोनी तहसील शिवपुरी में स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 52 / 2 / 6 रकवा 0.500 है0 भूमि विक्रय की अनुमति इस इस शर्त के साथ दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक / बैंक ड्राफट / नेट बैकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जावेगी। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर